

कार्यालय कलेक्टर जिला-डिण्डौरी (म.प्र.)

अधिसूचना

(अंतर्गत धारा-4 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013)

ज्ञाप क्र० /
प्रति,

/भ-अर्जन/2014

डिण्डौरी दिनांक.....

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग डिण्डौरी द्वारा पाकरबघर्रा जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु ग्राम पाकरबघर्रा माल प0ह0नं0 08 रा0नि0मं0 डिण्डौरी के 20 कृषकों की निजी भूमि रकबा 10.321 हे० एवं शासकीय भूमि रकबा 3.120 हे० कुल भूमि रकबा 13.441 हे० को अधिग्रहित करने हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत से दिनांक 26.01.2014 को परामर्श लिया जाकर ग्राम सभा प्रस्ताव की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है।

जिला	तहसील / तालुक	नगर / ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे० में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
डिण्डौरी	डिण्डौरी	पाकरबघर्रा माल	1	0.036	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग डिण्डौरी	पाकरबघर्रा जलाशय योजना
			2	0.950		
			3	1.125		
			4	0.050		
			5	0.630		
			6	0.080		
			9	0.05		
			10	0.530		
			12	1.330		
			15	0.420		
			16/1	0.0850		
			16/2	0.0850		
			17	0.440		
			473	1.000		
			476	0.010		
			7	1.620		
			19/1	0.14		
			19/2	0.14		
			18/1	0.70		
			18/2	0.90		
		योग:-		10.321		
		शासकीय भूमि	13,11,474, 475, 14	3.120		
				13.441		

//1//

में छवि भारद्वाज कलेक्टर डिण्डौरी भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-4(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "सामाजिक समाघात निघ्नरण अध्ययन" प्रारंभ करती हूँ, और इस अध्ययन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डिण्डौरी को अध्ययन प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है।

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन अंतर्गत अन्य बातों के बीच निम्नलिखित बातें भी आयेंगी :-

(क) इस बात का निर्धारण कि क्या प्रभावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।

(ख) प्रभावित कुटुम्बों का और उनमें से उन कुटुम्बों की संख्या का प्राक्कलन, जिनके विस्थापित होने की संभावना है।

(ग) ऐसी सार्वजनिक और प्राइवेट भूमि, मकानों, व्यवस्थापनों और अन्य संपत्तियों की सीमा, जिनके प्रस्तावित अर्जन से प्रभावित होने की संभावना है।

(घ) इस बात का अध्ययन कि क्या अर्जन के लिये प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिये पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक की ही है।

(ङ) इस बात का अध्ययन कि क्या किसी आनुकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन किये जाने पर विचार किया गया है और उसे साध्य नहीं पाया गया है।

(च) परियोजना के सामाजिक समाघातों तथा उनको ठीक करने की प्रकृति और खर्च तथा इन खर्चों का परियोजना के समग्र खर्च पर परियोजना के फायदों की तुलना में समाघात के अध्ययन।

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन, यदि कोई हो, के साथ-साथ अन्य आवश्यक बातों पर " सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन" रिपोर्ट समय सीमा के अंदर प्रस्तुत करेंगे।

(भूमि का नक्शा एवं अभिलेख भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(छवि भारद्वाज)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

जिला डिण्डौरी

//2//

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिसर म०प्र० भोपाल।
3. कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर।
की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ।
आप "सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन" रिपोर्ट समय सीमा में पहुँचाना सुनिश्चित करें।
5. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी। कृपया अध्ययन प्राधिकारी से संपर्क कर
जानकारी एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध करावें।
6. जिला सूचना एवं प्राद्योगिकी अधिकारी डिण्डौरी को कलेक्टर कार्यालय की वेबसाइट में
अधिसूचना प्रकाशन हेतु।
7. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग डिण्डौरी।
8. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग डिण्डौरी।
9. उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवायें डिण्डौरी।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डिण्डौरी।
11. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास डिण्डौरी।

की ओर सूचनार्थ। अध्ययन प्राधिकारी को उनके द्वारा चाही गई जानकारियां
उपलब्ध करावें।

12. तहसीलदार डिण्डौरी।
13. सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत पाकरबघर्गा।

की ओर सूचनार्थ एवं अधिसूचना का प्रकाशन तहसील कार्यालय एवं ग्राम
पंचायत के नोटिस बोर्ड एवं ग्राम के सार्वजनिक स्थल पर किया जावे। साथ ही अध्ययन प्राधिकारी को
उनके द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध करावें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(छवि भारद्वाज)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
जिला डिण्डौरी